पंचदश

बिहार विधान-सभा

अष्टम् सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग–3

बुधवार, तिथि 01 फाल्गुन, 1934 (श0)
20 फरवरी, 2013 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	ग्रामीण विकास विभाग	 02
(2)	पथ निर्माण विभाग	 01
	कुल योग	.. 03

अनाज रिकवरी कराना

5. श्री राजेश सिंह---स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित शीर्षक "काम के बदले अनाज योजना बंद डीलरों से नहीं वसूला गया 305 करोड़ का अनाज" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में काम के बदले अनाज योजना के तहत जन-वितरण प्रणाली की दूकान से अनाज मिलता था, यह योजना 2005-06 में बंद हो गया और इसकी जगह पर वर्ष 2006 में मनरेगा की शुरूआत हुई, लेकिन राज्य में डीलरों के पास "काम के बदले अनाज योजना" का फंड रह गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डीलरों से कुल 326 करोड़ के अनाज में से मात्र 21 करोड़ का अनाज वसूला गया, लेकिन 305 करोड़ के अनाज की रिकवरी आजतक नही हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार काम के बदले अनाज योजना बंद होने के कारण आजतक 326 करोड़ का अनाज में से मात्र 21 करोड़ की अनाज वसूलने का क्या औचित्य है ?

राशि की प्राप्ति

6. डॉ0 अच्युतानंद---क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005-06 से 2010-11 के बीच राज्य में सड़क निर्माण की कुल 386 योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से 968 करोड़ रुपया व्यय किया गया, जिसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा अभीतक नही की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त राशि की प्राप्ति के लिए कौन-सी कार्रवाई कर रही है ?

बकाये राशि

7. श्री अरूण कुमार सिन्हा---क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 ई0 में बंद हुई "काम के बदले अनाज" योजना के तहत राज्य के 17990 डीलरों के पास पड़े 321 करोड़ रुपये मूल्य के अनाज के सापेक्ष सात वर्ष बीतने के बावजूद मात्र 21 करोड़ 37 लाख रु0 की वसूली की जा सकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर, भोजपुर, प0 चम्पारण, कटिहार, दरभंगा, सीवान, पटना, समस्तीपुर, सारण, बक्सर एवं गया के क्रमशः 848, 456, 442, 409, 378, 377, 367, 342, 324, 318 एवं 73 डीलर आज भी उक्त योजना के तहत बकायेदार हैं और उनका लाइसेंस अबतक रद्द नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित जिलों के डीलरों से बकाये की वसूली का विचार रखती है, यदि हो, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 20 फरवरी, 2013 (ई0)।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 204-डी0टी0पी0-450